सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 856 राँची, शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2019 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची**

---

संकल्प

15 अक्टूबर, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-57/2015 (खंड)का-26124 (HRMS)--** श्री यादव बैठा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के विरूद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-322/स्था०, दिनांक-29.03.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- आपके द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 179/2014-15 एवं 180/2014-15 पर दिनांक 16.04.2015 को अभिलेख अगली तिथि 05.05.2015 को उपस्थापित करने का आदेश पारित किया गया, किन्तु 16.04.2015 के बाद दोनों अभिलेखों पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उक्त दोनों अभिलेखों को निगरानी दल द्वारा आपके गिरफ्तारी के दौरान दिनांक 16.06.2015 को कब्जे में लिया गया था। आपके द्वारा निजी स्वार्थवश और वित्तीय लाभ पाने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों अभिलेखों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल आचरण किया गया। आपके द्वारा अपने पद की गरिमा के विरूद्व कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है और अपने कर्त्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया गया है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4563, दिनांक-31.05.2016 द्वारा श्री बैठा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री बैठा द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिस पर विभागीय पत्रांक-6599, दिनांक-29.07.2016 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-709/स्था०, दिनांक-14.09.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री बैठा का स्पष्टीकरण "संतोषजनक नहीं" प्रतिवेदित किया गया।

श्री बैठा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9993, दिनांक-25.11.2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-131, दिनांक-26.04.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके समीक्षोपरांत श्री बैठा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9283, दिनांक 21.12.2018 द्वारा श्री बैठा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री बैठा के पत्र, दिनांक 15.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। समीक्षोपरांत, श्री बैठा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1673(HRMS), दिनांक 09.04.2019 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की अर्हक तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री बैठा द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1627, दिनांक 08.07.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री बैठा द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-

(i) आरोप पत्र का गठन उपायुक्त स्तर से किया गया है, जो नियमसम्मत नहीं है। इस संदर्भ में उनके द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17(3) का उद्धरण किया गया है।

समीक्षाः-झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17(3) के आलोक में सक्षम प्राधिकार अर्थात माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत ही श्री बैठा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः इनका कथन अमान्य है।

(ii) श्री बैठा द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन में कतिपय त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

समीक्षाः-श्री बैठा द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान कभी भी किसी प्रकार की त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया एवं विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तथा उन पर दण्ड अधिरोपण के पश्चात् कार्रवाई में त्रुटि निकालना अस्वीकार्य है।

(iii) श्री बैठा द्वारा जाँच प्रतिवेदन की वैधता पर प्रश्नचिन्हन लगाया गया है, जो मान्य नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री बैठा के विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच एवं गवाही के उपरांत ही निष्कर्ष प्रेषित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री यादव बैठा,झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच ), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

| **Sr No.** | **Employee Name**<br>**G.P.F. No.** | **Decision of the Competent authority** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | YADAV BAITHA<br>JHK/JAS/200 | श्री यादव बैठा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 856 -- 50